

हरियाणा सरकार
सिविल विमानन विभाग
अधिसूचना

दिनांक 2009

सं. सा.का.नि 101/संवि./अनु.309/96—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल विमानन (ग्रुप-क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों, को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

भाग-1 सामान्य

1.	ये नियम हरियाणा सिविल विमानन (ग्रुप-क) सेवा नियम, 2009, कहे जा सकते हैं।	संक्षिप्त नाम।
2	इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—	परिभाषाएं।
	क. “आयोग” से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग:	
	ख. “सीधी भर्ती” से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो:	
	ग. “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार:	
	घ. “संस्था” से अभिप्राय है,—	
	(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था: या	
	(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था:	
	ड. “मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय” से अभिप्राय है,—	
	(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय: अथवा	
	(ii) 15 अगस्त, 1947 से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि	

			उपाधि पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में, पंजाब, सिंध या ढाका विश्वविद्यालय: या	
		(iii)	कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो:	
	च.		“सेवा” से अभिप्राय है, हरियाणा सिविल विमानन (ग्रुप क) सेवा।	

भाग-II सेवा में भर्ती

3.	सेवा में इन नियमों में परिशिष्ट “क” में बताये गये पद होंगे:		पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप
	परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।		
4.	(1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,—		सेवा में भर्ती किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र।
	क.	भारत का नागरिक : या	
	ख.	नेपाल की प्रजा : या	
	ग.	भूटान की प्रजा: या	
	घ.	तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो: या	
	ड.	भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, कीनिया, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व, टांगानिका तथा जंजीवार), जांबिया, मलाबी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो:	

		परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से सम्बन्धित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।	
	2	कोई भी, व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए तो प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही किया जा सकता है।	
	3.	कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में, उससे भली-भान्ति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हो, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें।	
5.		कोई भी व्यक्ति, इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में वर्णित पदों में से किसी पद पर भी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो नीचे यथा निहित आयु सीमा का हो,—	आयु
	(i)	वरिष्ठ कार्यकारी विमान चालक—	
		30 वर्ष से कम 45 वर्ष से अधिक:	
	(ii)	हैलीकॉप्टर पायलट—	
		25 वर्ष से कम 50 वर्ष से अधिक:	
		आयु में छूट अनुभव के साथ ।	

	(iii)	कनिष्ठ विमान चालक—	
		20 वर्ष से कम 40 वर्ष से अधिक	
	(iv)	हैलीकॉप्टर अभियन्ता—	
		25 वर्ष से कम 50 वर्ष से अधिक: आयु में छूट अनुभव के साथ।	
	(v)	इलेक्ट्रॉनिक्स अभियन्ता—	
		30 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक	
	(vi)	विकास तथा तालमेल अधिकारी—	
		30 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक	
6.		सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेंगी	नियुक्ति प्राधिकारी
7.		कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट 'ख' के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्व वर्णित परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो: परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव अहर्ताओं में आयोग के विवके पर 50 प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकती है, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हों। ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे।	योग्यताएं

8.		कोई भी व्यक्ति,—	अयोग्यताएं
	(क)	जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है : या	
	(ख)	जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है: सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:	
		परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैंद्व तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।	
9.	(1)	सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी,—	भर्ती का ढंग
	(क)	वरिष्ठ कार्यकारी विमान चालक की दशा में,—	
	(i)	कनिष्ठ विमान चालक में से पदोन्नति द्वारा, या	
	(ii)	सीधी भर्ती द्वारा: या	
	(iii)	किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा:	
	(ख)	हैलीकॉप्टर पायलट की दशा में,—	
	(i)	सीधी भर्ती द्वारा: या	
	(ii)	किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा:	
	(ग)	कनिष्ठ विमान चालक की दशा में,—	
	(i)	सीधी भर्ती द्वारा: या	
	(ii)	किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की	

		सेवा में पहले से ही किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा:	
	(घ)	हैलीकॉप्टर अभियन्ता की दशा में,—	
	(i)	सीधी भर्ती द्वारा: या	
	(ii)	किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा:	
	(ङ.)	इलैक्ट्रॉनिक्स अभियन्ता की दशा में,—	
	(i)	सीधी भर्ती द्वारा: या	
	(ii)	किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा:	
	(च)	विकास तथा तालमेल अधिकारी,—	
	(i)	सीधी भर्ती द्वारा: या	
	(ii)	किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा:	
	(2)	सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबंधित न हों ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति के लिये कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।	
10	(1)	सेवा में किसी भी पद नियुक्त व्यक्ति यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा पर रहेगा:	परीक्षा
		परन्तु—	
	(क)	ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत	

		की गई कोई अवधि-परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी:	
	(ख)	स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में सेवा में, किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवके पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है: और	
	(ग)	स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, परन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की निहित अवधि के पूरा होने परद्व यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।	
	(2)	यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो वह,—	
	(क)	यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है: और	
	(ख)	यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—	
	(i)	उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है: या	
	(ii)	उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।	
	(3)	किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने परद्व नियुक्ति प्राधिकारी,—	
	(क)	यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—	
	(i)	ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो: तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है: या	
	(ii)	ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी	

		रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्टि कर सकता है: या	
	(iii)	यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है: या	
	(ख)	यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—	
	(i)	यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें: या	
	(ii)	उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था: परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
11.		सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा-काल के अनुसार निश्चित की जायेगी: परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग रूप से निश्चित की जायेगी: परन्तु एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी:—	ज्येष्ठता
	(क)	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त	

		सदस्य से ज्येष्ठ होगा: या	
	(ख)	पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा:	
	(ग)	पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता, ऐसी नियुक्तियों में, ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी जिनमें से वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे: और	
	(घ)	विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति से उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उसके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।	
12	(1)	सेवा का कोई भी सदस्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिये जाने पर ऐसा करने के लिये दायी होगा:	सेवा करने का दायित्व।
	(2)	सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है:—	
	(i)	कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण अथवा अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम, स्थानीय प्राधिकरण, अथवा विश्वविद्यालय: या	
	(ii)	केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण अथवा अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के	

		पास हो: या	
	(iii)	कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो, अथवा गैर-सरकारी निकाय: परन्तु, सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) अथवा (iii) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।	
13.		वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों, अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।	वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।
14.	(1)	अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा, सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियंत्रित होंगे: परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।	अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।
	(2)	हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप-नियम के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के अधीन	

		आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।	
15.		सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवाएगा तथा पुनः टीका लगवाएगा।	टीका लगवाना।
16.		सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली ही, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।	राजनिष्ठा की शपथ।
17.		जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देने आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।	ढील देने की शक्ति।
18.		इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।	विशेष उपबन्ध।
19.		इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, तथा अन्य विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी: परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।	आरक्षण।
20.		सेवा पर लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पहले लागू हों, इसके द्वारा,	निरसन तथा व्यावृत्ति।

		निरसित किये जाते हैं: परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।	
--	--	---	--

परिशिष्ट क
(देखिए नियम 3)

पद संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	वरिष्ठ कार्यकारी विमान चालक	1	—	1	37400-67000+12000 Grade Pay
2	हैलीकॉप्टर पायलट	—	2	2	37400-67000+10000 Grade Pay
3	कनिष्ठ विमान चालक	2	—	2	37400-67000+10000 Grade Pay
4	हैलीकॉप्टर अभियन्ता	—	1	1	37400-67000+10000 Grade Pay
5	इलैक्ट्रॉनिक्स अभियन्ता	1	—	1	37400- 67000 + 8900 Grade Pay
6	विकास तथा तालमेल अधिकारी	1	—	1	15600-39100+5400 Grade Pay

परिशिष्ट (ख)

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक योग्यतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो।	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक योग्यतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो।
1.	2.	3.	4.
1	वरिष्ठ कार्यकारी विमान चालक	(क)मैट्रिक पास या इसके समकक्ष: (ख) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान: (ग) करन्ट इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के साथ वरिष्ठ कार्यकारी विमान चालक का वर्तमान लाईसैंस/एयरलाईन ट्रांसपोर्ट पायलट लाईसैंस वालों को प्राथमिकता: (घ) करन्ट इंस्ट्रूमेंट रेटिंग सहित पायलट-इन-कमाण्ड के रूप में नाईट फ्लाईंग के 100 घण्टों सहित टविन मल्टी ईंजन विमान पर पायलट-इन-कमाण्ड के रूप में 2000 घण्टों सहित कम से कम 3000 घण्टे की	(क) मैट्रिक पास या इसके समकक्ष: (ख) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान: (ग) कनिष्ठ विमान चालक के पद पर 5 वर्ष का अनुभव:

		फलाईंग होनी चाहिये। (ड.) चयन की तिथि से दो महीने की अवधि के दौरान पायलट-इन-कमाण्ड का कम से कम 30 घण्टे उड़ान का अनुभव: (च) एविएशन में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव।	
2	हैलीकॉप्टर पायलट	(क) मैट्रिक पास या इसके समकक्ष: (ख) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान: (ग) सी एच पी एल/ए एल टी पी लाईसैंस के साथ। (घ) कुल 3000 घण्टों की फलाईंग का अनुभव। (ड.) दो ईजन वाले हैलीकॉप्टर पर 2500 घण्टे की फलाईंग। (च) वी आई पी फलाईंग के अनुभवी व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (छ) आयु में छूट	(क) मैट्रिक पास या इसके समकक्ष: (ख) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान: (ग) सी एच पी एल/ए एल टी पी लाईसैंस के साथ। (घ) कुल 3000 घण्टों की फलाईंग का अनुभव। (ड.) दो ईजन वाले हैलीकॉप्टर पर 2500 घण्टे की फलाईंग। (च) वी आई पी फलाईंग के अनुभवी व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी।

		अनुभव के साथ ।	
3	कनिष्ठ विमान चालक	(क) मैट्रिक पास या इसके समकक्ष: (ख) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान: (ग) करन्ट वरिष्ठ कामर्शियल पायलट लाईसैंस/ कामर्शियल पायलट लाईसैंस: (घ) किंग एयर सी 90-ए प्रकार के हवाई जहाज का लाईसैंस: (ङ.) टविन/मल्टी ईजन टर्बोप्रोप प्रकार के जहाज पर करन्ट इंस्ट्रुमेंट रेटिंग:	(क) मैट्रिक पास या इसके समकक्ष: (ख) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान: (ग) करन्ट वरिष्ठ कामर्शियल पायलट लाईसैंस/ कामर्शियल पायलट लाईसैंस: (घ) किंग एयर सी 90-ए प्रकार के हवाई जहाज का लाईसैंस: (ङ.) टविन/मल्टी ईजन टर्बोप्रोप प्रकार के जहाज पर करन्ट इंस्ट्रुमेंट रेटिंग:
4	हैलीकॉप्टर अभियन्ता	(क) मैट्रिक पास या इसके समकक्ष: (ख) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान: (ग) हैलीकॉप्टर लाईसैंस ए एण्ड सी या: (घ) हैलीकॉप्टर आर ए/जे ई:	(क) मैट्रिक पास या इसके समकक्ष: (ख) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान: (ग) हैलीकॉप्टर लाईसैंस ए एण्ड सी या: (घ) हैलीकॉप्टर आर ए/जे ई:

		(ड.) हैलीकॉप्टर के लाईसैंस तथा रख-रखाव का दो वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (च) आयु में छूट अनुभव के साथ।	(ड.) हैलीकॉप्टर के लाईसैंस तथा रख-रखाव का दो वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी।
5	इलैक्ट्रॉनिक्स अभियन्ता	(क) मैट्रिक पास या इसके समकक्ष: (ख) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान: (ग) हवाई जहाजों के रेडियो के रख-रखाव अभियन्ता वर्ग घ और ब में लाईसैंस राज्य के जहाज तथा प्रशिक्षण जहाजों पर एक्यूपमेंट के रख-रखाव का अनुभव: (घ) एविएशन का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से पांच वर्ष का जहाज रेडियो रख-रखाव अभियन्ता का अनुभव होना चाहिए।	(क) मैट्रिक पास या इसके समकक्ष: (ख) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान: (ग) हवाई जहाजों के रेडियो के रख-रखाव अभियन्ता वर्ग घ और ब में लाईसैंस राज्य के जहाज पर एक्यूपमेंट के रख-रखाव का अनुभव: (घ) एविएशन का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से पांच वर्ष का जहाज रेडियो रख-रखाव अभियन्ता का अनुभव।
6	विकास तथा	(क) स्नातक:	(क) स्नातक:

	तालमेल अधिकारी	(ख) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान: (ग) प्रशासन में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव जिसमें से 5 वर्ष का अनुभव राजपत्रित क्षमता में: (घ) विमान्न का अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।	(ख) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान: (ग) प्रशासन में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव जिसमें से 5 वर्ष का अनुभव राजपत्रित क्षमता में: (घ) विमान्न का अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
--	-------------------	---	---

परिशिष्ट ग
[देखिए नियम 14 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील अधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	वरिष्ठ कार्यकारी विमान चालक	सरकार	1. छोटी शास्ति: (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी: (ii) परनिन्दा: (iii) पदोन्नति रोकना: (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार को या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि की पूरी या	सरकार	—	—
2	हैलीकॉप्टर पायलट					
3	कनिष्ठ विमान चालक					
4	हैलीकॉप्टर अभियन्ता					
5	इलैक्ट्रॉनिक्स अभियन्ता					
6	विकास तथा तालमेल अधिकारी					

			उसके भाग की वेतन की वसूली: (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियां रोकना: 2. बड़ी शास्त्रियां: (vi) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना: (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतनवृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं: (viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था,—			
--	--	--	--	--	--	--

			पदोन्नति के लिए साधारणतयः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा: (ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति: (x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी, नियोजन के लिए अयोग्यता नहीं होगी: (xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः अयोग्यता होगी।			
--	--	--	--	--	--	--

परिशिष्ट घ
[देखिए नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील अधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
1	वरिष्ठ कार्यकारी विमान चालक	(क) पेन्शन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य / अतिरिक्त पेन्शन की राशि में कमी करना या रोकना:	सरकार	—	—
2	हैलीकॉप्टर पायलट				
3	कनिष्ठ विमान चालक				
4	हैलीकॉप्टर अभियन्ता				
5	इलैक्ट्रॉनिक्स अभियन्ता				
6	विकास तथा तालमेल अधिकारी	(ख) सेवा के किसी सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियक्ति की समाप्ति।			

हस्ता /—
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सिविल विमान् विभाग।